01.08.2024 अभिभक्ता श्री धवलचन्द विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि उक्त अनवान प्रकरण को तलब कर आज तारीख पेशी में किया जावे। जिस पर हुआ गया प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब करने स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज तारीख पेशी में ली गई। अभिभक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को जरिये नोटिस खारिज करने का निवेदन किया। अभिभक्ता प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज. काश्त. अधिनियम जरिये नोटिस खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रोकड़ बही दाखिल दफ्तर हो।

Not Press

ये कम मेरी लिखी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:41:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner